

3

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

सीन अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS

पत्र अन्तर्गत धारा:- 53 आर.टी.ए. 1955

रण संख्या:- 399/2024

बलवीर राम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी सिखवाला मलोट तहसील मलोट जिला
मुक्तसर पंजाब

-:वादी

बनाम

1. अमरजीत कौर पत्नी बलवंत सिंह जाति रामगढिया निवासी डबली राठन तहसील हनुमानगढ
2. गुरमीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति रामगढिया निवासी डबली राठन तहसील हनुमानगढ
3. सुखचैन सिंह पुत्र कलवंत सिंह जाति रामगढिया निवासी डबली राठन तहसील हनुमानगढ
4. सोहन सिंह पुत्र कलवंत सिंह जाति रामगढिया निवासी डबली राठन तहसील हनुमानगढ
5. दलवीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति रामगढिया निवासी डबली राठन तहसील हनुमानगढ
6. इन्द्रकौर पत्नी रिछपाल उर्फ पालाराम जाति जाट निवासी डबली बास पेमा तहसील
हनुमानगढ
7. राकेश पुत्र रिछपाल उर्फ पालाराम जाति जाट निवासी डबली बास पेमा तहसील हनुमानगढ
8. कैलाश कुमारी पुत्री रिछपाल उर्फ पालाराम पत्नी अजय सिंह पुत्र महावीर जांदू जाति जाट
निवासी हरीपुरा तहसील रानीया जिला सिरसा
9. सुनीता पुत्री रिछपाल उर्फ पालाराम पत्नी सुनील पुत्र इन्द्राज ज्याणी जाति जाट निवासी
बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
10. सुमन बाला पुत्री रिछपाल उर्फ पालाराम पत्नी सुनील कुमार पुत्र इन्द्राज पढर जाति जाट
निवासी मानकटिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
11. सीमा पुत्री रिछपाल उर्फ पालाराम पत्नी कालाराम पुत्र इन्द्राज ज्याणी जाति जाट निवासी
बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
12. स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा डबली राठन
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरु हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिहाग वादी मिन जामिन मुदई व राजपैरोकार पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.
03.2025 की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./356 दिनांक 30.01.2026
द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किया जाता है कि चक 9 एमओडी तहसील
हनुमानगढ (क) हिस्सा वादी बलवीर राम पुत्र मनीराम - प.न. 61/275 (52) कि.न. 6/1/0.
228 (नहरी), 6/2/025 रास्ता, 7, 8, 15/1/013 नहरी, 16/1/228, 16/2/012 रास्ता
कुल 1.012 हैक्टेयर मय गै.मु. प्रतिवादी सं. 1 ता 11 का हिस्सा - प.न. 61/275 (52)
कि.न. 15/2/0.215 15/3/025 रास्ता, 12, 13, 14, 17 ता 25, 16/3/013 रास्ता

4

3.289 हैक्टियर मय गै.मु.। उक्तानुसार वादी का खाता अलग व रकमराज अलग कायमी आदेश दिए जाते हैं। शेष खाता बदस्तूर रहे। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इरी अनुसार अमलदरामदगी कर लगाम कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय द वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.02.2026 को जारी किया गया।

नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावे।


 (मांगी लाल) RA6
 सहायक कलेक्टर
 एवं उपस्थिति अधिकारी
 हनुमानगढ़